10 7/18

पत्रावली पेश हुई [illegible]
[illegible]
3/7/18 [illegible] 64613 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 2072-75
[illegible] 874 [illegible] 3 [illegible]

[illegible] अधि[illegible]
सहायक कलेक्टर
[illegible] (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

हुक्म

0.25 है का भाग प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते [illegible] निम्नानुसार [illegible], किया जावे

(1) वादी [illegible] के नाम [illegible] निम्नानुसार [illegible] किया जावे

खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
8197	0.17	नहरी II	
8200/2	0.02	—	
8201/2 मेंसे	0.03	—	
कितात 3 रकबा	0.22	—	3-30

(2) प्रतिवादी नम्बर 1 [illegible] के नाम निम्नानुसार [illegible] किया जावे

खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
8201/2 मेंसे	0.03	नहरी II	0.45

उपरोक्तानुसार [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] हुक्म

सहायक कलेक्टर [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी-- श्री के0आर0 यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
119/2017/वाद पत्र	25.09.2017	22.06.2018

उनवान

द्वारका प्रसाद पुत्र कल्याण रेगर नि0 फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां – वादी

बनाम

1– मु0 कमली पुत्री श्रीराम कोली नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
2– अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, शाहपुरा
3– तहसीलदार, शाहपुरा – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–89 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री अनिल शर्मा : अधिवक्ता वादी
2. श्री दुर्गालाल राजोरा : अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 2

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–89 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कस्बा शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 8197 रकबा 0.17 है0, आ0न0 8200 रकबा 0.12 है0, आ0न0 8201 रकबा 0.20 है0 कुल किता 03 रकबा 0.49 है0 स्थित है। जिसमे वादी का 7/8 हक हिस्सा निहित होकर वादी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कुलिया भूमि वर्तमान मे संयुक्त और अविभक्त है तथा वादी अपने हक हिस्से की 7/8 कृषि भूमि मे अच्छी लागत लगाकर और अधिक विकसित करना चाहता है लेकिन कुलिया भूमि संयुक्त होने से नही कर पा रहा है। इसलिये वादी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अपने 7/8 हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराना चाहता है। अतः वादी के पक्ष मे व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के विरूद्व बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात जिसमे वादी का 7/8 हक हिस्सा निहित है, का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा करा इसी अनुसार अलग से नक्शे मे तरमीम प्रतिवादी 3 से कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.10.2017 को प्रतिवादी नं0 2 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 03.10.2017 को प्रतिवादी नं0 1 का सम्मन अदम तामील लोटने से दिनांक 04.10.2017 को दैनिक नवज्योति मे साया कराने हेतु अभिभाषक वादी ने निवेदन किया। दिनांक 06.10.2017 को प्रतिवादी 2 की ओर से अभिभाषक श्री दुर्गालाल राजोरा ने अधिकार पत्र एवं एक तरफा से दो तरफा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। दिनांक 09.10.2017 को सम्पापक दैनिक नवज्योति को

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा

Scanned by CamScanner

लिखा जाकर सम्मन नोटिस प्रति साया कराने हेतु भेजी गई। दिनांक 27.03.2018 को अभिभाषक अभिभाषक वादी द्वारा नो ओब्जेक्शन करने से एक तरफा से दो तरफा के आदेश पारित किये गये। जवाब दावा पेश किया गया जिसकी नकल अभिभाषक वादी को दी गई। प्रकरण कायमी तनकीयात के नियत किया गया। अभिभाषक वादी द्वारा दिनांक 30.04.2018 को दैनिक नवज्योति की प्रति पेश की गई जिसमे प्रतिवादी नं0 1 का सम्मन नोटिस साया कराया गया। प्रकरण आज दिनांक 22.06.2018 को अभिभाषक वादी के मौखिक निवेदन पर सीगे से तलब करने पर पेश किया गया। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित जिनको सुना गया। वाद पत्र स्वीकार किये जाने पर अभिभाषक प्रतिवादी नं0 2 द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नही की गई। वादी स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत 2072 से 75 खाता संख्या 874 आ0न0 8197 रकबा 0.17 है0 आ0न0 8200/2 रकबा 0.02 है0, 8201/2 रकबा 0.06 है0 कुल किता 03 रकबा 0.25 है0 मे से 7/8 हिस्सा वादी का दर्ज रेकार्ड होने से वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ :–

<u>आदेश</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–89 आर0टि0ए0 स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा मे स्थित जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत 2072 से 75 खाता संख्या 874 आ0न0 8197 रकबा 0.17 है0 आ0न0 8200/2 रकबा 0.02 है0, 8201/2 रकबा 0.06 है0 कुल किता 03 रकबा 0.25 है0 मे से वादी का 7/8 हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर पक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर पेश करने हेतु तहसीलदार, शाहपुरा को 500/– कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर वादी से प्राप्त करे। प्राथमिक डिक्री जारी हो। डिक्री की प्रमाणित फोटोप्रति तहसीलदार, शाहपुरा को भेजी जाकर पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06..2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्री के0आर0 यादव, आर0ए0एस0

द्वारका प्रसाद पुत्र कल्याण रेगर नि0 फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां – वादी

बनाम

1– मु0 कमली पुत्री श्रीराम कोली नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
2– अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, शाहपुरा
3– तहसीलदार, शाहपुरा – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–89 आर0टि0ए0
मुकदमा नम्बर 119 सन् 2017

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा मे स्थित जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत 2072 से 75 खाता संख्या 874 आ0न0 8197 रकबा 0.17 है0 आ0न0 8200/2 रकबा 0.02 है0, 8201/2 रकबा 0.06 है0 कुल किता 03 रकबा 0.25 है0 मे से वादी का 7/8 हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर पक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस तैयार कर पेश करने हेतु तहसीलदार, शाहपुरा को 500/– कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर वादी से प्राप्त करे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 22 माह 06 सन् 2018 से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, शाहपुरा
जिला (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

इजलास श्री के० आर० मीणा, RAS

इरफान मोहम्मद S/o कल्लू खाँ रंगरेज निवासी पुरेशिया – वादी

बनाम श्री 1. [illegible] निवासी – शाहपुरा

2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका शाहपुरा

3. तहसीलदार शाहपुरा – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA

मुकदमा नम्बर 119 सन् 17 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व — मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :–

आदेश [illegible] तहसीलदार शाहपुरा ग्राम शाहपुरा [illegible] 2072-75 [illegible] 874 [illegible] रकबा 0-25 है [illegible]

(1) वादी इरफान मोहम्मद S/o कल्लू खाँ रंगरेज निवासी पुरेशिया के नाम दर्ज किया जावे।

ह०

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द मूलयाबी तक अदा करें ।

आज मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 10 माह 7 सन् 18

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर

शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner